

3/यो0-32/2018

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

26

(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 10-04-19

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामाजिक सुरक्षा के अधीन वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत राज्य के भूमिहीन, निर्धन, भिक्षुक एवं असहाय के बीच धोती, साड़ी चादर (सूती) एवं कम्बल (उनी) वितरण हेतु रु 66.00 लाख (छियासठ लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामाजिक सुरक्षा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) के अन्तर्गत वस्त्र वितरण कार्यक्रम के अधीन राज्य के निर्धन, अपंग, भिक्षुकों, भूमिहीन, असहाय व्यक्तियों को धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं कम्बलों (उनी) का क्रय कर मुफ्त वितरण इस योजना अन्तर्गत किया जाना है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वित्तीय 2019-20 में इस योजना के अधीन धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं कम्बलों (उनी) के वितरण हेतु कुल 66.00 लाख (छियासठ लाख) मात्र के व्यय को स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	योजना उदव्यय	स्वीकृत राशि (कुल योजना उदव्यय का 33 प्रतिशत)
1	सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत वस्त्र वितरण	51-2235602000002	0002-35-01	200.00	66.00
कुल 66.00 लाख (छियासठ लाख) मात्र					66.00

2. स्वीकृत राशि निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना द्वारा जिलों को आवंटित की जायेगी। आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित जिला कोषागार से उनके द्वारा राशि निकासी की जायेगी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होंगी। निदेशक, सामाजिक सुरक्षा इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

3. सूती वस्त्रों एवं कम्बलों का क्रय, बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निर्धारित क्रय प्रक्रियाओं के आलोक में किया जायेगा। निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि जिलों को आवंटित की जायेगी। जिला पदाधिकारी आवंटित राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे। गरीबी रेखा के अधीन जनसंख्या के अनुपातिक सभी जिलों को स्वीकृत राशि का जिलावार आवंटन निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारियों द्वारा वस्त्रों का क्रय कर उसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में किया जायेगा एवं वस्त्रों का वितरण करनेवाले पदाधिकारियों द्वारा उसकी प्रविष्टि उनके स्टॉफ/निर्गत पंजी में की जायेगी। लाभान्वितों की सूची (पता सहित) एक अलग पंजी में संधारित की जायेगी।
4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-32/2018 के टिप्पणी पृ0-10/टि0 पर दिनांक-05.04.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।
7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-32/2018 के टिप्पणी पृ0-10/टि0 पर दिनांक-09.04.2019 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),

पटना-15, दिनांक- 10-04-19

जापांक- : 3/यो0-32/2018 26

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),

पटना-15, दिनांक- 10-04-19

जापांक- : 3/यो0-32/2018 26

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),